कातरी सूर्यनारायणन व अन्य

बनाम

कॉपीसेट्टी सुबा राव व अन्य

(सिविल अपील नं० 2240 सन 2009)

8 अप्रैल, 2009

(एस.बी. सिन्हा और डॉक्टर मुकंदकम शर्मा, जेजे.)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -आदेश 22 नियम 9 - द्वितीय अपील का उपशमन-पक्षकारों के बीच विवाद अपने संबंधित आवासीय घरों को जोड़ने वाली गली का उपयोग करने के उनके अधिकार के संबंध में है- प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने बाबत दायर किया गया वाद खारिज कर दिया गया- आदेश अपील में अपास्त कर दिया गया- अपीलांट ने द्वितीय अपील पेश की, जिसके लंबित रहते प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन की मृत्यु हो गई- उनके प्रतिस्थापन हेतु आदेश 22 नियम 9 में विहित अवधि के भीतर कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया- अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या दो या तीन के उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किया। उच्च न्यायालय ने विलंब को क्षमा करने से इनकार कर दिया

व निर्धारित किया की अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई द्वितीय अपील उपशमन के आधार पर खारिज की जाती है- औचित्य-अभिनिर्धारित-तथ्यों के आधार पर मृतक प्रतिवादी संख्या दो या तीन के उत्तराधिकारियों व विधिक प्रतिनिधियों के नाम को रिकॉर्ड पर लेने हेतु विलंब को क्षमा करने बाबत कोई पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं किया गया था।

पक्षकारों के बीच अपनी संबंधित आवासीय घरों को जोड़ने वाली गली का उपयोग करने के अधिकार के संबंध में उत्पन्न हुआ था। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने बाबत दायर किया गया वाद खारिज कर दिया गया। आदेश अपील में अपास्त कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिसके लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या दो तीन की मृत्यु हो गई। उनके प्रतिस्थापन हेतु आदेश 22 नियम 9 में विहित अवधि के भीतर कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या दो या तीन के उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र क्रमशः 2381 और 2601 दिनो के विलंब से उक्त विलंब को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या दो या तीन के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने बाबत विलंब को क्षमा करने से इंकार कर दिया और परिणामस्वरुप यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई द्वितीय अपील

उपशमन के आधार पर खारिज की जाती है।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में लेने में विफल रहने के कारण गलती में था कि अपीलार्थी सख्या दो या तीन की मृत्यु के परिणाम के संबंध में सचेत नहीं थे व इस संबंध में उन्हें अपने अधिवक्ता के मार्फत बहुत बाद की दिनांक को जानकारी हुई थी। यह आगे तर्क दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में आदेश 22 नियम 10 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान जो कि मृतक के अधिवक्ता पर अपने मुवक्किल की मृत्यु की सम्यक सूचना न्यायालय को देने का दायित्व अधिरोपित करते हैं, की पालना नहीं की गई थी। अतः उच्च न्यायालय का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:-

1. किसी वाद और अपील में उपशमन को अपास्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने में विलंब को क्षमा करने बाबत अनेक तथ्य ध्यान में रख देने योग्य हैं। ऐसे प्रार्थना पत्र का निर्वचन उद्दारता पूर्वक किया जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को क्षमा करने बाबत मामले में न्यायालय अधिक उदार दृष्टिकोण को अपनाएगा। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद हैं। (पैरा 10) (679-ई, एफ)

2.1. यह सही है कि एक वाद में उपशमन को अपास्त करने बाबत पेश किए गए प्रार्थना पत्र व द्वितीय अपील में जो उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था में अंतर निहित होता है परंतु यह दोनों में समान है कि पक्षकार परिणाम के बारे में सचेत नहीं थे यह स्वयं में निर्णय लेने हेतु पर्याप्त आधार दर्शित नहीं होता है। अपीलार्थी स्वयं आदेश 22 नियम 10 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर निर्भर करते हैं जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। हालांकि यह परिणाम के बारे में प्रावधान नहीं करता है। यह मृतक वादी/अपीलार्थी या प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लेने हेतु विलंब को माफ करने बाबत प्रार्थना पत्र विहित अवधि में पेश करने से वादी या अपीलार्थी जैसा भी मामला हो पर अधिरोपित कर्त्तव्य को वापस नहीं लेता है। (पैरा 11) (680-ए-सी)

2.2. वर्तमान वाद में पक्ष कारान पड़ौसी हैं वे संबंधित के आवासीय घरों को जोड़ने वाली गली के संबंध में लड़ रहे है इसलिए यह समझना मुश्किल है की अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन की मृत्यु के बारे में जानते नहीं होंगे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि अपीलार्थीगण अपने अधिवक्तागण के संपर्क में नहीं थे। प्रत्येक सप्ताह नहीं परंतु यह अपेक्षा की जाती है कि वह वर्ष में एक बार अपने अधिवक्ता से संपर्क करेंगे।मात्र विधिक परिणाम की अज्ञानता अन्य किसी तर्क के अभाव में इतना लंबा

विलंब क्षमा करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है। अपीलार्थी पढ़-लिखे है, वे अपना वाद लंबे समय से लड़ रहे है। उच्च न्यायालय बिंदुवार एक निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मृतक प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन के उत्तराधिकारियों या विधिक प्रतिनिधियों के नाम को को रिकॉर्ड पर लेने हेतु विलंब को क्षमा करने बाबत कोई पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्तागण द्वारा उन्हें सूचित किया जाना बताया है परंतु रिकॉर्ड पर यह दर्शित करने हेतु कुछ भी नहीं है कि उक्त सूचना उन्हें लिखित दी गई थी या मौखिक दी गई थी। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह एक उचित मामला नहीं है जिसमें न्यायालय को संविधान के एक अनुच्छेद 136 के तहत दिए गए विवेकाधीन अधिकरिता का उपयोग करना चाहिए। (पैरा 11,13 और 14) (679-जी, 687-सी-ई, 687-एफ,जी)

भारत संघ बनाम रामचरण व अन्य 1964 (3) एससीआर 467 बाग सिंह एवं अन्य बनाम मेजर दलजीत सिंह व अन्य 1987 (सप्ली.) एससीसी 685; बागमल उर्फ राम बक्श व अन्य बनाम मुंशी (मृतक) बाय एललारएस व अन्य (2007) 11 एससीसी 285 और पेरिनादू भागवती देवा स्वाम, परीनाडु गांव बनाम भार्गवी अम्मा मृतक जरिए विधिक प्रतिनिधि व अन्य 2008 (8) एससीसी 321 संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

1964 (3) एससीआर 467	**पैरा 12**	**संदर्भित**
1987 पूरक एसीसी 685	**पैरा 12**	**संदर्भित**
2007 11 एसीसी 285	**पैरा 12**	**संदर्भित**
2008 (8) एसीसी 321	**पैरा 12**	**संदर्भित**

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 2240/2009।

उच्च न्यायालय के एस.ए.सं. 192/1997 ओर एस.ए.एम.पी. सं. 3284-3289/2006, एस.ए.सं. 192/1997 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 26.12.2006 से।

जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी और अमरपाल अपीलार्थियों के लिए।

टी.वी. रत्नम और एम. चन्द्रशेखर प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था।

एस.बी. सिन्हा, जे. 1. अनुमति दी गई।

2. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में आदेश दिनांक 26.12.2006 से अपील के उपशमन का प्रभाव जैसा कि आदेश 22 नियम नो सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित है। इस अपील में अंतर्वलित है।

आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा द्वितीय अपील संख्या 192 सन 1997 में पारित निर्णय आदेश दिनांक 26.12.2006 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन के विधिक उत्तराधिकारियों व प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने में क्रमशः 2381 दिनों व 2601 दिनों के विलंब को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए उनके द्वारा की गई द्वितीय अपील को उपशमन के आधार पर वाद हेतुक के अविभाज्य होने के आधार पर खारिज किया गया था, से अद्भुत हुआ है।

3. मामले में अन्तर्वलित प्रश्न से पूर्व हम वाद के तथ्यों पर ध्यान देते हैं।

वाद के पक्षकार पड़ौसी है उनके मध्य विवाद एक गली के उपयोग को लेकर उत्पन्न हुआ था। अपीलार्थीगण का दावा है कि वे उक्त गली का उपयोग सुखाचार के आधार पर करने के अधिकारी हैं। उन्होंने कुछ संपत्ति विवादित संपत्ति में विक्रेताओं के 1/12 भाग को शामिल करते हुए दिनांक 6.11.1985 को खरीदी थी इससे पूर्व वे उक्त संपत्ति में सुखाचार के अधिकार का उपभोग कर रहे थे।

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा एक वाद प्रधान जिला मुंशीफ रामचंद्रपुरम में दिनांक 27.12.1985 को अपीलार्थीगण के विरुद्ध विवादित भूमि का उपयोग करने से निषेध करने हेतू आज्ञापक व्यादेश साथ ही साथ स्थाई व्यादेश की

डिक्री प्रदान करने बाबत एक पेश किया गया था कथित वाद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय ओर डिक्री दिनांक 15.06.1993 के जरिए खारिज कर दिया गया था।

5. प्रत्यर्थीगण द्वारा इसके विरुद्ध अपील की गई अधीनस्थ न्यायाधीश रामचंद्रपुरम द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.1996 द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वह वाद की भूमि के स्वामी थे व आज्ञापक व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री के हकदार थे कथित करते हुए उक्त अपील को स्वीकार किया गया।

6. अपीलार्थी प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त कथित निर्णय डिक्री से पीड़ित ओर असंतुष्ट होते हुए सन 1997 में उच्च न्यायालय पहुंचे जहां उनकी द्वितीय अपील को एस ए नंबर 192 सन 1997 के रूप में दर्ज किया गया। निर्विवाद रूप से उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या तीन की मृत्यु दिनांक 31.05.1999 को व प्रत्यर्थी संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 14 जनवरी 2000 को हुई सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 9 के तहत विहित अवधि के भीतर उनके प्रतिस्थापन बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन के उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र दिसंबर 2006 में यह कहते हुए पेश किया कि कि उन्हें इस बारे में उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.11.2006 को सूचित किया था। उक्त प्रार्थना पत्र

पेश करने में हुए विलंब को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया कथित प्रार्थना पत्र जैसा कि पूर्व में दर्शित होता है क्रमशः 2381 दिनों व 200601 दिनों से वर्जित थी। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने में हुए विलंब को क्षमा करने से इंकार कर दिया परिणाम स्वरुप जैसा कि पूर्व में कथित किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया की अपील का उपशमन हो गया था।

7. विद्वान अधिवक्ता श्री जी रामकृष्ण प्रसाद अपीलांट की ओर से उपस्थित हुए व तर्क किया कि

> (1) अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण की मृत्यु के परिणाम के बारे में जानते नहीं थे उन्हें इस बारे में बहुत बाद के स्तर पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी हुई थी इस तथ्य को ध्यान में लेने में उच्च न्यायालय विफल रहा था इस प्रकार उच्च न्यायालय ने एक गंभीर गलती की है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 10 ए के प्रावधान जो मृतक के अधिवक्ता पर उसके मुवक्किल की मृत्यु की न्यायालय को सम्यक सूचना करना आज्ञापक बनाते हैं, की पालना इस मामले में नहीं की गई थी। अतः आक्षेपित निर्णय कायम रहने योग्य नहीं है।

(2) आदेश 22 नियम 9 के एक सिविल वाद में लागू करने में जहां पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वाद की प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित होंगे व एक द्वितीय अपील या एक अपील जो कि कई वर्षों बाद लिस्ट की जाती है, में लागू करने में अंतर सदैव ध्यान में रखना चाहिए व मामले के तथ्यों को देखते हुए विलंब को क्षमा करने बाबत एक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

8. श्रीमान टी.वी. रत्नम विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उपस्थित होते हुए तर्क दिया गया कि:-

(i) पक्षकार एक ही गांव में रह रहे थे व वे पड़ौसी भी थे, यह तर्क देना बेकार है कि वह मूल प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन की मृत्यु के तथ्य के बारे में जानते नहीं थे।

(ii) जैसा कि उपशमन को अपास्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने की परिसीमा से मृत्यु की दिनांक से शुरू हो जाती है ना कि इसके संबंध में जानकारी की दिनांक से इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा अपने समक्ष के विवाद को सही रूप से निर्धारित किया गया था।

9. पक्षकारों के विरोधी कथनों पर आगे बढ़ने से पहले जैसा कि पूर्व

में कथित किया गया है हम सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों पर ध्यान देंगे।

आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता में पक्षकारों के मृत्यु विवाह दिवाला के प्रभाव के बारे में प्रावधान किया गया है। नियम एक प्रावधान करता है कि यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से वाद का उपशमन नहीं होगा। नियम दो में जहां अनेक वादियों में से एक वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, के बारे में प्रक्रिया निर्धारित करता है।

आदेश 22 नियम 3 अनेक वादियों में से एक वादी या एक वादी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों व विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने की प्रक्रिया विहित करता है। इस हेतु विहित अवधि में प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रार्थना पत्र हेतु निर्विवाद रूप् से 90 दिन की अवधि विहित है। आदेश 24 नियम 3 के उपनियम (2) में ऐसा प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के परिणामों के बारे में प्रावधान है। वह यह है कि वाद जहां तक मृतक वादी का संबंध है, उपशमन हो जायेगा। ऐसी ही प्रक्रिया आदेश 22 नियम 4 में एक से अधिक प्रतिवादियों या एकमात्र प्रतिवादी हेतु विहित है।

आदेश 22 नियम 09 उप शमन या खारिज के प्रभाव के बारे में

वर्णन करता है।

उपशमन या खारिज होने का प्रभाव - (1) जहाँ वाद का इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज किया जाता है वहां कोई भी नया वाद, उसी वाद हेतुक पर नहीं लाया जाएगा।

(2) वादी या मृत वादी का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालिया वादी की दशा में उसका समनुदेशिती या रिसीवर, उपशमन या खारिजी अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि वाद चालू रखने से वह किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो न्यायालय खर्चे के बारे में ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे, उपशमन या खारिजी अपास्त करेगा।

(3) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 (1877 का 15) की धारा 5 के उपबन्ध उपनियम (2) के अधीन आवेदनों को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण - इस नियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पश्चात्वर्ती वाद में ऐसे तथ्यों पर आधारित प्रतिरक्षा का वर्जन करती है जो उस वाद में वाद हेतुक बनते थे जिसका इस आदेश के अधीन उपशमन हो गया है या जो खारिज कर दिया गया है।

उपशमन या खारिज होने का प्रभाव आदेश 22 नियम 10 ए पक्षकार

के अधिवक्ता पर पक्षकार की मृत्यु की सूचना न्यायालय को दिए जाने का प्रावधान करता है।

10. यह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय से स्पष्ट है कि एक वाद और अपील में उपशमन को अपास्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने में विलंब को क्षमा करने हेतु विभिन्न तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है इसके अलावा इसमें ना तो संदेह है, न ही इस संबंध में विवाद है कि ऐसे प्रार्थना पत्र पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। न्यायालय ऐसे विलंब को माफ करने की प्रार्थना पत्र पर अधिक उदार दृष्टिकोण अपनायेगा। हालांकि कथित नियम के कुछ अपवाद हैं।

11. यहां पक्षकार पड़ौसी थे, वह एक गली जो उनके संबंधित आवासीय घरों को जोड़ती है, को उपयोग करने के अधिकार पर लड़ रहे थे इसलिए हमारे लिए यह विचार करना मुश्किल है की अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या दो या तीन की मृत्यु की दिनांक के बारे में जानते नहीं थे।

यह सही हो सकता है कि एक वाद में उपशमन को अपास्त करने हेतु पेश किए गए प्रार्थना पत्र व उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील में जो पेश किया जाना चाहिए में एक अंतर है परंतु हमारे विचार में यह अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचाने हेतु पर्याप्त नहीं हो सकता कि पक्षकार इसके परिणाम के बारे में जानते नहीं थे। अपीलार्थी स्वयं आदेश

22 नियम 10 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर निर्भर करते हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। हालांकि यह परिणाम के बारे में प्रावधान नहीं करता है, यह वादिया अपीलार्थी जैसा मामला हो पर मृतक वादी/अपीलार्थी या प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के उत्तराधिकारी और विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर लेने में विलंब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र विहित अवधि में पेश करने के दायित्व को वापस नहीं लेता है।

भारत संघ बनाम रामचरण व अन्य 1964 3 एससीआर 467 में तीन न्यायाधीशों की पीठ में अभिनिर्धारित किया :-

> "निश्चित ही न्यायालय इस बात पर विचार करने में कि क्या अपीलार्थी द्वारा समय पर मुकदमा शुरू नहीं करने बाबत पर्याप्त हेतुक स्थापित किया गया है या विहित समय में उपशमन को अपास्त करने बाबत आवेदन नहीं किया है, के बारे में सुझाए गए कारण के सबूत के बारे में अतिशक्त होने की आवश्यकता नहीं है। वह स्थापित तथ्यों को स्वीकार करेगा क्योंकि प्रश्न पक्षकारों के मध्य विवाद के गुणावगुण से संबंधित नहीं है और अगर उपशमन को अपास्त किया जाता है तो विवाद का गुणावगुण पर निश्चय किया जा सकता है और अगर उपशमन अपास्त नहीं किया

जाता है तो अपीलार्थी अपना दावा अपनी सदोष उपेक्षा या सतर्कता की कमी के कारण साबित करने से वंचित हो जाएगा। इससे हालांकि यह तात्पर्य नहीं है कि न्यायालय आसानी से वह स्वीकार कर ले जो प्रार्थी अपीलार्थी अपने विलंब को स्पष्ट करने हेतु कहता है न्यायालय को अपीलार्थी मृतक के विधि प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने हेतु या उपशमन को अपास्त करने हेतु परिसीमा अवधि में आवेदन पेश करने में गलती में था इसकी जांच करनी चाहिए और इसे स्थापित करने हेतु पेश किए गए साक्ष्य का गुणावगुण पर निश्चय करना पूर्णतया उचित है।

यह सच है जैसा की तर्क दिया गया है कि यह अपीलार्थी का कर्तव्य नहीं है कि वह समय-समय पर विरोधी पक्षकार की स्वास्थ्य व अस्तित्व के बारे में नियमित जांच करें, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अपीलार्थी का मात्र यह कथन कि उसे प्रत्यर्थी की मृत्यु के बारे में विलंब से पता चला था, अपने आप उपशमन को अपास्त करने के प्रार्थना पत्र को न्यायोचित बनाता है। यह कानून नहीं है, संहिता के आदेश 22 नियम 09 की यह अपेक्षा है कि वादी यह साबित करें कि वह वाद को जारी

रखने हेतु प्राप्त कारण से निवारित रहा था। मात्र विरोधी पक्षकार की मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं होने का कथन पर्याप्त नहीं है। उसे वह कारण दर्शित करना पड़ेगा जो उसके अनुसार युक्तियुक्त समय में उसके प्रत्यर्थी की मृत्यु की जानकारी नहीं होने का रहा। उक्त कारण को न्यायालय की संतुष्टि हेतु स्थापित करना पड़ेगा। विशेष कर जबकि उक्त कारण की सत्यता को मृतक के विधिक प्रतिनिधि जिसने वाद के उपशमन पर मूल्यवान अधिकार को अर्जित कर लिया है, के द्वारा चुनौती दी गई है।"

जैसा कि आगे कहा गया है

"परिसीमा अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 171 के तहत ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत विहित परिसीमा अवधि 3 मास है यह एक पर्याप्त लंबा समय है और यह है विधायिका द्वारा इस आशा से नियत किया गया है कि साधारणतया वादी प्रतिवादी की मृत्यु व उसके विधिक प्रतिनिधि कौन है, यह जानने में उक्त समय में समर्थ हो जाएगा। विधायिका ने यह आशा की होगी कि साधारणतः वाद की दो उत्तरोत्तर सुनवाई का अंतराल 3 माह के भीतर होगा, व किसी प्रतिवादी का इस समय के बीच निश्चित

सुनवाई पर अनुपस्थिति को उसके अधिवक्ता द्वारा ध्यान में लाया जाएगा या उसकी मृत्यु के कारण के संबंध में या अन्य पक्षकार की अनुपस्थिति के बारे में वादी को जिज्ञासु बनाएगा। यह विधायिका द्वारा ध्यान में लिया गया की साधारणतया जैसी अपेक्षा की जाती है कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां वादी को प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी ना हो इसलिए न केवल वाद के उपशमन को अपास्त करने हेतु अनुच्छेद 176 के तहत 2 महीने की परिसीमा दी गई, बल्कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 भी ऐसी प्रार्थना पत्र पर अनुप्रयोज्य बनाई गई। अतः वादी को उपशमन को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त समय अनुज्ञात किया गया जो कि वाद की साबित परिस्थितियों में जहां न्यायालय उचित समझे 5 माह से अधिक तक हो सकता है। उपशमन को अपास्त करने हेतु पर्याप्त हेतुक का गठन किन तत्वों को ध्यान में रखते हुए होगा, यह संक्षेप में व्यर्थ होगा या वादी द्वारा मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने या विहित अवधि में उपशमन को अपास्त करने बाबत क्या पर्याप्त हेतुक निर्धारित किया जाएगा, यह संक्षेप में

बताना व्यर्थ होगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि ऐसा प्रार्थना पत्र पेश करने में विलंब द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने में जो वादी द्वारा उठाए जाने चाहिए थे या वह कर सकता था के बारे में वादी की उपेक्षा के कारण नहीं होना चाहिए आवश्यक कदम क्या होंगे, यह विशिष्ट वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा व प्रत्येक वाद अपने तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उदाहर्णात्मक तथ्यों या परिस्थितियों के बारे में कोई भी कथन विशिष्ट मामले के तथ्यों में परिस्थितियों से प्राप्त हेतुक का गठन होता है या नहीं, के संबंध में दिमाग के स्वतंत्र उपयोग पर अंकुश लगाने की प्रवृत्ति का हो सकता है। न्यायालय को प्रत्येक मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायहित में करना चाहिए।''

(जोर दिया गया)

पूर्व कथित निर्णय को देखते हुए न्यायालय द्वारा भागसिंह व अन्य बनाम मेजर दलजीत सिंह अन्य 1987 एसीसी 685 में विचार व्यक्त किया कि :

''हमारे समक्ष उद्धृत निर्णयों प्रेमनाथ बनाम मैसर्स कंदूमल

रिखी राम और हनुमान दास बनाम पृथ्वीनाथ के साथ-साथ भारत संघ बनाम रामचरण के आधार पर यह सुस्थापित विधि है कि न्यायालय धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पर निर्णय करते समय तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अत्यधिक कठोर व पांडित्यपूर्ण रूख जो अन्याय करने वाला हो अपनाने के बजाय ऐसा रुख अपनाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को सफल बनाने वाला हो।"

इस मामले में हालांकि क्षमा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था।

श्रीमान रामकृष्ण प्रसाद द्वारा अपना विश्वास इस न्यायालय के निर्णय भागमाल उर्फ रामबख्श व अन्य बनाम मुंशी (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधि व अन्य (2007) 11 एसीसी 285 पर प्रकट किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि -

12. "निर्विवाद रूप से धारा 3 परिसीमा अधिनियम 1963 में उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर एक वाद परिसीमा अवधि के तहत विहित अवधि के तहत फाइल किया जाना चाहिए। सिविल न्यायालय को इस अवधि को विस्तारित करने की अधिकारिकता नहीं है।

13. हालांकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों का विस्तृत निर्वचन किया जाना चाहिए। परिसीमा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विभिन्न निर्वचन आवश्यक है जैसा कि उदाहरण के लिए न्यायालय द्वारा एक वाद में विलंब को क्षमा करने की अधिकारिकता का प्रयोग उदारता पूर्वक करने में प्रत्येक मामले में इसकी शुद्धता की परख में हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। हम नहीं समझते कि हमें ऐसी कोई विधि बनानी चाहिए जो की धारा 3 परिसीमा अधिनियम के निर्वचन में समान नियम लागू हो।''

आगे यह भी निर्धारित किया गया कि

15. "परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों का पांडित्यपूर्ण निर्वचन नहीं किया जा सकता है। अब यह विधि सर्वविदित नियम है कि जहां अपील गुणावगुण पर खारिज की गई वहां निर्विवाद रूप से परिसीमा का प्रारंभ द्वितीय अपील की खारिजी की दिनांक से होगा। प्रत्यर्थीगण स्वयं द्वारा अपील की गई थी अपील वाद की निरन्तरता थी इसलिए अपीलार्थी लंबन के दौरान बंसी की मृत्यु हो गई व अपील का उपशमन हो गया। इस तथ्य के बारे में सचेत थे। यह अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। एक अपील प्रथम अपील

न्यायलय के निर्णय और डिक्री से 3 वर्ष पश्चात उपशमित होती है और उसे समय परिस्थिति में अपीलार्थी को इससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क मान लिया जाए। हमारे विचार में विधि का ऐसा अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता जो न्याय के उद्देश्यों को विफल कर दे।"

"इस न्यायालय के हाल ही के निर्णय पेरूमन भगवती देवासम पेरीवाद गांव बनाम भार्गवी अम्मा (मृतक) जरिए विधिक प्रतिनिधि व अन्य (2008) एसीसी 321 पर विश्वास व्यक्त करते हुए न्यायाधीश रविंद्रन ने बैंच की ओर से कथित करते हुए अनेक निर्णयों के आधार पर अभिनिर्धारित किया कि"

"9 इस न्यायालय ने रामचरण (सुपरा) के मामले में कुछ अवलोकन किया कि वादी/अपीलार्थी मृत्यु के बारे में जागरूक नहीं थे, के अतिरिक्त युक्तिसंगत समय के भीतर मृत्यु के बारे में नहीं जानने का कारण भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उक्त अवलोकन संशोधन अधिनियम 104 सन 1976 द्वारा आदेश 22 नियम (4) के उप नियम (5) के अंतर्स्थापना व नए नियम (10 ए) के संयोजन से धुंधले पड़ गए थे जिसके जरिए यह आवश्यकता थी कि (i) विलंब को

क्षमा करने में मृत्यु की अज्ञानता से पर्याप्त हेतुक था, को न्यायालय द्वारा ध्यान में लिया जाएगा। (ii) मृतक पक्षकार का अधिवक्ता न्यायालय को अपने मुवक्किल की मृत्यु के बारे में सूचित करेगा।''

उपशमन को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय ध्यान देने योग्य सिद्धांत संक्षेप में इस प्रकार हैं :

''**(1)** परिसीमा अवधि के भीतर प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने बाबत पर्याप्त शब्द हेतु पर्याप्त हेतुक युक्तिसंगत व्यावहारिक और उदार तरीके से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर मामले के प्रकार के आधार पर समझे जाने चाहिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में पर्याप्त हेतुक का उदार निर्वचन करना चाहिए जिससे पर्याप्त न्याय हो सके। जब विलंब को टालने की नीति और सद्भाव जान-बूझकर निष्क्रियता या अपीलार्थी की लापरवाही के कारण ना हो।

(2) विलंब को क्षमा करने के कारणों पर विचार करते समय न्यायालय उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना पत्रों के संबंध में अन्य मामलों की अपेक्षा अधिक उदार है जबकि न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब अपील का

उपशमन होता है तो मृतक प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार का उद्भव होता है। यह किसी अपील को समाप्त करते हुए अन्य अपेक्षित खामियों हेतु एक अपीलार्थी को दंडित नहीं करेगा। न्यायालय को उपशमन को अपास्त करने हेतु प्रवृत्त होना चाहिए और मामले का गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए। बजाए उपशमन के आधार पर कार्यवाही समाप्त करने के

(3) विलंब को क्षमा करने में निर्णायक कारक विलंब की अवधि नहीं है बल्कि संतोषजनक स्पष्टीकरण है।

(4) न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली नरमी की सीमा व परिमाण प्रार्थना पत्र की प्रकृति और मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, उदाहरण के लिए न्यायालय अपील को संस्थित करने में विलंब की बजाए लंबित अपील में प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलंब को अधिक उदारता से देखता है। न्यायालय पक्षकारों की खामियों से संबंधित प्रार्थना पत्रों की बजाय अधिवक्ताओं की खामियों से संबंधित प्रार्थना पत्रों को अधिक उदारता से देखते हैं। एक अपील पेश करने में हुए विलंब को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र और अपील की कमियों को सुधार

कर अपील की पुनर्स्थापना में विलंब को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र में न्यायालय में दृष्टिकोण में भिन्नता इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

(5) सावधानी की उपेक्षा या अकर्मण्यता एक अपीलार्थी से तभी अपेक्षित है जब उसके द्वारा कुछ किए जाने की आवश्यकता है जब कुछ किए जाने की आवश्यकता ना हो तो न्यायालय अपीलार्थी से सावधान होने की अपेक्षा नहीं करेगा। जहां उच्च न्यायालय द्वारा एक अपील दर्ज की जाती है वह कुछ वर्षों तक अंतिम सुनवाई हेतु सूचीबद्ध होना अपेक्षित नहीं है तो एक अपीलार्थी से न्यायालय या अपने अधिवक्ता से कुछ हफ्तों में वस्तुस्थिति जानने हेतु मिलने की व प्रत्यर्थी प्रतिस्पर्धी जीवित है यह जांच करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वह बस बुलाए जाने या अपने अधिवक्ता से अपील की सूचीबद्ध होने की सूचना का मात्र इंतजार करता है।"

ऐसा कहने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने कुछ कारकों का उल्लेख किया जो पर्याप्त हेतु का निर्धारण करने में ध्यान में रखे जाएंगे। विशेष रूप से जहां उच्च न्यायालय के समक्ष एक वाद लंबित है या एक अपील लंबित है कथन किया कि :

"इसके विपरीत जब कोई अपील उच्च न्यायालय में लंबित होती है सुनवाई की तारीख समय-समय पर तय नहीं की जाती है। एक बार अपील दर्ज हो जाती है तो यह वस्तुतः भंडारण में जाती है और न्यायालय के समक्ष तभी सूचीबद्ध होती है जब वह सुनवाई हेतु परिपक्व हो जाती है या जब कोई प्रार्थना पत्र अंतरिम निर्देश बाबत फाइल किया जाता है। उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों के संबंध में यह सामान्य है कि यह कई वर्षों तक सूचीबद्ध नहीं होती है। कुछ न्यायालयों में जहां भारी संख्या में लंबित है सुनवाई नहीं होने का समय 10 वर्ष या उससे अधिक हो सकता है। जब अपील उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की जाती है अधिवक्ता पक्षकारों को सूचना देता है कि जब मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा तो वह संपर्क करेंगे।ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलार्थी से अपील दर्ज होने और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के समय के बीच कुछ किए जाने की अपेक्षा करता हो। पेपर बुक फाइल करने या जहां कहीं आवश्यक हो पेपर बुक तैयार करने हेतु आवश्यक शुल्क जमा करने के जिससे उच्च न्यायालय में अपीलों का अतिभार है और वादी अनेक वर्षों तक असूचीबद्ध रहने हेतु उत्तरदायी नहीं है अपील के दर्ज से

अपील के सूचीबद्ध होने के लंबे समय के बीच अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस बात की पूरी जानकार रखें कि क्या प्रत्यर्थी जिंदा है या मर गया। इसकी समय-समय पर जांच करें। जहां उच्च न्यायालय में एक अपील इस प्रकार सुनवाई की कोई दिनांक नियत किए बिना अस्थाई रोक के साथ लंबित रहती है तो इस बात की कोई संभावना नहीं कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी की मृत्यु के बारे में सजग रहेगा। जब तक की दोनों निकट स्थान पर ना रहते हो या संबंधी हो या न्यायालय से प्रत्यर्थी की मृत्यु के बारे में जानकारी हेतु नोटिस ना दिया हो।"

विद्वान न्यायाधीश द्वारा ऐसे मामले में जहां पक्षकार परस्पर निकट रह रहे थे या संबंधित थे या न्यायालय द्वारा उन्हें प्रत्यर्थी की मृत्यु के बारे में नोटिस जारी किया गया था और अन्य मामलों में एक स्पष्ट अंतर किया था।

13. इस विषय पर विवाद नहीं है कि अपीलार्थीगण पड़ौसी थे वे सहहिस्सेदार थे। अतः प्रत्यर्थी संख्या दो व तीन की मृत्यु से संबंधित तिथियां उनकी जानकारी में थी, यह धारित करना मुश्किल है कि याचिकाकर्त्ता अपने विद्वान अधिवक्ताओं से सन 1999 से दिसंबर 2006 तक संपर्क में नहीं थे। अगर प्रत्येक हफ्ते नहीं तो भी वर्ष में एक बार अपने

अधिवक्ताओं से संपर्क करेंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा की जाती है। अन्य किसी तथ्य के बिना मात्र कानून के परिणामों की अज्ञानता इतने लंबे विलंब को क्षमा करने बाबत पर्याप्त नहीं है। अपीलार्थी पढ़- लिखे हैं वह अपना मामला लंबे समय से लड़ रहे हैं। उच्च न्यायालय अपने निर्णय में बिंदुवार एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। मृतक प्रत्यर्थी संख्या तीन के उत्तराधिकारियों और विधिक प्रतिनिधियों के नाम को रिकॉर्ड पर लेने हेतु विलंब को क्षमा करने बाबत पर्याप्त हेतु दर्शित नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता द्वारा सूचना दिया जाना कथित किया है परंतु रिकॉर्ड पर उक्त सूचना लिखित दी गई थी या मौखिक यह दर्शित करने हेतु कुछ भी नहीं है।

14. इस मामले को देखते हुए हमारी यह राय है कि यह एक उचित मामला नहीं है जिसमें इस न्यायालय को संविधान की अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन क्षैत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है। कोई खर्च नहीं।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन सहारण-II आर.जे.एस. (आर.जे. 00769) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।